

कार्यालय संयुक्त अभियंता

लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश,

"निर्माण भवन," प्रथम तल, प्लॉट नं.27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल(म.प्र.)

web site: www.mppwd.gov.in

email: sepwdadminenc@mp.nic.in

Phone- 0755-2551485, Fax- 2556527

क्रमांक 303/040/2016/1664

भोपाल, दिनांक ~~1/00/2018~~ 4/9/2018

//आदेश //

पी.ई.बी.,भोपाल द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा-2017 में विभाग के उपयंत्री(विद्युत) के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित चयनित उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम-1972 (संशोधन सहित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विभाग में उपयंत्री (विद्युत) के पद पर वेतनमान -(PB-2-₹ 9300-34800+Grade Pay ₹ 3200/-) में म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के PAY MATRIX LEVEL 8- 32800-103600 में न्यूनतम वेतन रूपये 32,800/-प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-


स.क्रं	उम्मीदवार का नाम एवं पिता का नाम	वर्ग	नियुक्ति पश्चात प्रथम पदस्थगी स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री विशाल चौधरी आ.श्री विकास चौधरी	अन्य पिछड़ा वर्ग	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.वि/यों उपसंभाग विदिशा (वि/यों संभाग क्र.2 भोपाल)
2	श्री हरीश कुमार कोरी आ.श्री खेमराज कोरी	अनु.जाति	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि. वि.वि/यों संभाग सागर

शर्तें निम्नानुसार है :-

1. उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता पी.ई.बी. द्वारा चयन क्रम के अनुसार रहेगी।
2. अभ्यर्थी को संपूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
3. उक्त अभ्यर्थियों की परिदीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1972 के अध्याधीन होंगे। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
4. मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम, 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
6. अभ्यर्थी को पदस्थगी स्थान पर अपनी उपस्थिति सूचना के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र एवं निराक्षरता के लिए निराक्षरता प्रमाण-पत्र मूल एवं उनकी सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत कर सनास्त मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करवाना होगा।
7. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में भविष्य में असत्य अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी एवं संबंधित के विरुद्ध विधिमान्य कार्यवाही की जायेगी।


8. अभ्यर्थी का पदस्थान जहाँ वे लॉक-आउट के दौरान नियुक्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर चुके हैं, परिवर्तित अवधि सन्तुलनपूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जायेगा।
9. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिनों के अंदर अपने पदस्थगी स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
10. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एक-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित पेशन अंशदान प्रणाली लागू होगी।
11. अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र अपने निकटस्थ अधिकारी को भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा संबंधित अधिकारी उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवायेगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट अभ्यर्थी के विरुद्ध पायी जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।


 (अखिलेश अग्रवाल)
 प्रमुख अभियंता,
 लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश,
 भोपाल दिनांक ~~10/8/2018~~ 4/9/2018

पृ. क्रमांक 303/040/2016/1665
 प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, संचालक, भोपाल।
 3. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 4. नियंत्रक, मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल।
 5. परियोजना संचालक, पी.आई.यू. लो.नि.वि.म.प्र.भोपाल।
 6. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश।
 7. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश।
 8. अधीक्षण यंत्री (आई.टी.सेल) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. भोपाल की ओर आदेश अपलोड करने हेतु।
 9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, विदिशा/सागर
 10. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, वि/यों संभाग क्र.2 भोपाल/सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 निर्देशित किया जाता है, कि नवनियुक्त उपयंत्री की उपस्थिति के समय नियमानुसार समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर, नवनियुक्त उपयंत्री को उनके पदस्थगी स्थान पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें एवं संबंधित की उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 11. अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.वि/यों उपसंभाग विदिशा।
 12. वरिष्ठ निज सहायक, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 13. स्थापना शीर्ष-302/304/305 कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. भोपाल।
 14. श्री विशाल चौधरी, आत्मज श्री विकास चौधरी, एट पोस्ट सुखारस, ब्लॉक हरदा, हरदा, पिनकोड-461331
 15. श्री हरीश कुमार कोरी, आत्मज श्री खेनराज कोरी, एच.आई.जी. 65, दीन दयाल नगर, मकरोनिया, सागर, पिनकोड-470004
- की ओर सूचनार्थ। कृपया अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित संभागीय कार्यालय में दें।


 प्रमुख अभियंता,
 लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश